

WEB NOTICE

Recruitment of Retired Staff as Concurrent Auditor for FY 2021-22 Dated 15.01.2021

विषय : बैंक में संगामी लेखा परीक्षण (Concurrent Audit) कार्य हेतु बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V की सेवाये लिया जाना

बैंक के निम्नलिखित जनपदों में कार्यरत शाखाओं पर संगामी लेखा परीक्षा का कार्य करवाने के लिए बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V की सेवाये लिए जाने का निर्णय लिया गया है -

1. अम्बेडकर नगर	2. अमेठी	3. औरेया	4. अयोध्या	5. आजमगढ़	
6. बलिया	3. बरेली	8. बस्ती	9. चंदौली	10. देवरिया	11. इटावा
12. फतेहपुर	13. गाजीपुर	14. गोरखपुर	15. जौनपुर	16. कानपुर	
17. कानपुर देहात	18. कौशाम्बी	19. कुशी नगर	20. महाराज गंज	21. मऊ	
22. पीलीभीत	23. प्रतापगढ़	24. प्रयागराज	25. रायबरेली	26. संत कबीर नगर	
27. संत रविदास नगर	28 शाहजहाँपुर	29. सिद्धार्थ नगर	30. सुल्तानपुर	31. वाराणसी	

संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त (अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V) के लिए पात्रता एवं अन्य शर्तें निम्नवत हैं -

पात्रता :-

- पूर्ववर्ती पूर्वाञ्चल बैंक, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V आवेदन कर सकते हैं।
- सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V, जो अग्रिम कार्यक्षेत्र में पर्याप्त दक्षता रखते हों, FINACLE system पर कार्य हेतु सक्षम हो एवं शाखा प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव रखते हों, के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त की तिथि से प्रथम 05 वर्षों के दौरान संगामी लेखा परीक्षण हेतु 65 वर्ष की आयुसीमा तक पात्र होंगे।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी को संगामी लेखा परीक्षा कार्य संपन्न करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम एवं आवंटित शाखा / (ओ) पर आवागमन हेतु समर्थ होना चाहिए।
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी को, बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त जनपदों अथवा समीपवर्ती जिले का निवासी होना चाहिए।
- पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement), सेवा से हटाये गए (Removal from service) या बर्खास्त (Dismissal) सेवानिवृत्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अयोग्य / अपात्र माने जायेंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारी के पास Laptop / Computer System की उपलब्धता आवश्यक है।

परिश्रमिक :-

प्रति त्रैमास प्रति शाखा अनुमन्य परिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 12000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
रु. 10 करोड़ से अधिक परन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 13000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 15000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास

- अग्रिम अवशेष की सीमा के आकलन हेतु आवंटित शाखा का प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को अग्रिम अवशेष आधार माना जायेगा।



प्रधान कार्यालय : बुद्ध विहार, व्यवसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर- 273 016

- उक्त धनराशि पर देय टैक्स का नियमानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित / लागू है।

प्रति त्रैमास यात्रा व्यय का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार किया जायेगा -

जिला मुख्यालय की शाखाएँ	कुछ नहीं
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. दूरी तक की शाखाएँ	रु. 1000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
जिला मुख्यालय से 25 कि. मी. से अधिक परन्तु 50 कि. मी. से अनाधिक की शाखाएँ	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास
जिला मुख्यालय से 50 कि. मी. से अधिक दूरी की शाखाएँ	रु. 3000/- प्रति शाखा प्रति त्रैमास

- उपरोक्त पारिश्रमिक / यात्रा व्यय में, सभी आउट आफ पॉकेट व्यय, सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा आवंटित शाखा और / अथवा नियंत्रक कार्यालय पर भ्रमण और / अथवा आवश्यकता / अनुरोध पर संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठकों में भाग लेने हेतु किया गया स्थानीय व्यय सम्मिलित है।
- बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋणी की परियोजना / यूनिट / गोदाम सहित बैंक के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी के भ्रमण की व्यवस्था संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा द्वारा की जाएगी।
- संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।
- त्रैमासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध, सम्बंधित त्रैमास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित जाना चाहिए।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु पारिश्रमिक हेतु पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान सम्बंधित / आवंटित शाखा द्वारा संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

कार्यदायित्व:-

- संगामी लेखा परीक्षा करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी का मुख्य कार्य बैंक द्वारा लेनदेन के साथ – साथ आंतरिक जांच और अन्य सत्यापनों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के प्रयासों में संपूरक की भूमिका निभाना है।
- संगामी लेखा परीक्षा का दायरा प्रयास रूप से बड़ा होना चाहिए जिससे उसमें नकदी की सार-संभाल, जमाराशियों, प्रतिभूतियों की सेफ कस्टडी, निवेशों, अतिदेय बिलों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, विविध और उच्चत खाते, अंतर शाखा मिलान, समाशोधन भिन्नताओं, क्रेनपत्र और गरंटी जैसे तुलन पत्र से इतर मद्दें, ट्रेजरी कार्य और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय जैसे धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्र शामिल हो सके।
- संगामी लेखा परीक्षा का विस्तृत दायरा स्पष्ट और समान रूप से निर्धारित कर निम्नवत routine परिचालनात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिनसे सम्बंधित कवरेज की विन्दुवार मद्दों का विवरण शाखा आवंटन के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा :-

• Cash	• Clearing	• Remittances / Bills for Collection
• Opening of Accounts	• Security Forms	• Issue of Chequebook
• Deposits	• Advances	• Letter of Credit / Bank Guarantees
• Housekeeping	• Verification of Credit / Debit Card	• Investment / treasury Operations
• Others		

अन्य शर्तें :-

- इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी घेड / स्केल – III, IV व V से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर पात्र व्यक्तियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जायेगा और अंतिम रूप से चयनित सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध (empanel) किये जाने के उपरांत संगामी लेखा परीक्षण हेतु शाखा का आवंटन किया जायेगा।

- सेवाकाल के दौरान जिन शाखाओं पर सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है उन शाखाओं का आवंटन संगामी लेखा परीक्षा हेतु नहीं किया जायेगा।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी का चयन (engagement) और शाखा आवंटन सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा और आवंटित शाखा में परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना अवधि विस्तारण संगामी लेखा परीक्षा कार्य सम्बन्धी कार्यनिष्पादन (performance) के दृष्टिगत बैंक के एकल विवेकाधिकार (sole discretion) के अधीन होगा।
- संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य निष्पादन की समीक्षा आवंटित शाखा से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा पर हो रहे लेनदेन में material omission अथवा commission के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी जिम्मेदार होगा। सेवानिवृत्त अधिकारी से बैंक के सर्वोत्तम हित में संगामी लेखा परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के दौरान किये गए अवलोकन (observation) अस्पष्ट / विरोधाभासी (ambiguous) और / अथवा बैंक के नीतिगत मार्ग निर्देशों के विपरीत न हो तथा बैंकिंग में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अनदेखा न किया गया हो।
- संगामी लेखा परीक्षण करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य में किसी प्रकार का गंभीर omission या commission एवं संगामी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य निष्पादन और / अथवा तत्संबंधी रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक (up to mark) न पाए जाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी का चयन किसी भी समय समाप्त किये जाने का एकल विवेकाधिकार (sole discretion) बैंक के पक्ष में सुरक्षित होगा।

संगामी लेखा परीक्षण कार्य करने के इच्छुक बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल – III, IV व V संलग्न प्रारूप पर आवेदन प्रधान कार्यालय को प्रेषित करे। पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन पत्र बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 06.02.2021 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि 06.02.2021 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी को चयन (engagement) सम्बन्धी साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी। अंतिम रूप से चयन उपरांत सूचीबद्ध (empanel) सेवानिवृत्त अधिकारियों को चयन सम्बन्धी पत्र जारी किया जायेगा।

सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि इस परिपत्र / विषयवस्तु को सभी सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V की जनकारी में लाये एवं शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करे। शाखाओं / कार्यालयों पर कार्यरत कार्मिकों के संज्ञान में भी इस परिपत्रों की विषयवस्तु लायी जाये जिससे वे अपने संपर्क में आने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को अवगत करा सके और अधिकाधिक / इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V तत्संबंधी आवेदन कर सके।

भवदीय



(जितेंद्र कुमार)

महाप्रबंधक



संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रारूप

**APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT OF RETIRED BANK OFFICER G/S – III,
IV & V FOR CONCURRENT AUDIT**

1. Name (in block letters) : _____

2. Father's Name : _____

3. (a.) E. C. No. : _____

(b.) Mobile No. : _____

(c.) Email Id : _____

4. Last Grade/Scale : _____

5. Date of Birth : _____

6. Age as on 31.03.2020 : Years _____ Month _____ Days

7. Date of Joining in the Bank : _____

8. (a.) Last Place of Posting : Branch/Office _____ Region/HO

(b.) Permanent Address : _____

(c.) Present Address : _____

9. Date of Promotions

(a) Officer Scale I to Officer Scale II : _____

(b) Officer Scale II to Officer Scale III : _____

(c) Officer Scale III to Officer Scale IV : _____

(d) Officer Scale IV to Officer Scale V : _____

10. Qualification

(a.) (i) Educational : _____

(ii) Professional : _____

(b.) CAIIB/ JAIIB/ CAIIB-I/ CAIIB-II : _____

(c.) Computer Literacy : _____

11. Experience as Branch Manager (Separate sheet may be attached)

Name of Erstwhile RRB/Bank	Branch/Office	From	To	Designation	Nature of Work

12. Disciplinary action initiated/

Punishment imposed by

the Bank in Past (If Any)

case to case basis separately:

13. Whether Suffering from any _____
Major health Problem/Ailment:

14. Date of Retirement: _____

15. (a.) Details of engagement _____
After retirement (If Any): _____
(b.) Income derived thereof : _____

I declare that the information furnished above is true & correct

Date : _____
Place : _____

Signature of Applicant
Name : _____

FOR OFFICE USE ONLY